



प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग,

उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 28-08-2024

विषय:- पी0एम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड से वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक यूपीसीडा के पत्र संख्या-1304/यूपीसीडा/पीजीएम दिनांक 13.06.2024(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-14/2024/568/77-6-24-6099/138/2023 पार्ट-2, दिनांक 13.03.2024 द्वारा यूपीसीडा के प्रस्ताव के अनुक्रम में पी0एम0 गतिशक्ति योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 19 सिविल कार्य हेतु लागत रु.4364.9 लाख एवं 07 विद्युत कार्य हेतु लागत रु. 1395.44 लाख अर्थात कुल रु. 5760.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रु.5760.34 लाख आपके निवर्तन पर रखी गई थी।

3- विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 5760.34 लाख की धनराशि राजकोष से आहरित कर बैंक खाते में संरक्षित कर ली गई है और 07 विद्युत कार्यों की निविदा स्वीकृत करते हुए कार्य आरम्भ कर दिया गया है। लागत रूपया 5.00 करोड से कम के कुल 19 सिविल कार्यों का आगणन लोक निर्माण विभाग से पुनः परीक्षित कराये जाने के उपरान्त लागत में हुए परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार उक्त 19 कार्यों की संशोधित लागत रु. 4070.38 लाख की श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि (रूपये लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	शासनादेश दिनांक 13.03.2024 द्वारा स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4
Industrial Area site-4 Sahibabad Ghaziabad			
1	Providing And Fixing of Cantilever Gantry Sign Board, Road Direction Board and Guide Map in Industrial Area Site-4 Sahibabad Ghaziabad	69.50	102.13
I.A, Loha Mandi, Distt.-Ghaziabad			
2	Construction Of R.C.C. Roads & Drain of Existing Rd. No. 3, 5, 6, 8, 12 & 17 At L.A. Loha Mandi, Distt Ghaziabad.	445.04	400.76
3	Construction Of R.C.C. Roads & Drain of Existing Rd. No. 10, 11, 18 & 19 At I.A. Loha Mandi, Distt Ghaziabad.	271.23	238.31
4	Providing And Fixing Signage Board & Road Safety Devices at IA Loha Mandi, Distt. Ghaziabad	26.91	29.26
I.A. South Side G.T. Road, Distt: Ghaziabad			
5	Widening, Strengthening & Interlocking Tiles of Existing Road from Road No.8 (Rathi Road) to Plot No. 35/1 & From Plot No. E-32 to C-14(N.H.-9) at I.A. South Side G.T. Road, Distt: - Ghaziabad	459.51	387.69
6	Widening & Strengthening of Existing Road from Plot noc-.3/5 (Rathi Road) to Plot No. G-1 (Petrol Pump) and from Plot no, 27 to 29& Sub Division Road of Plot No. 33 And R.C.C. Drain at I.A. South Side G.T. Road, Distt: - Ghaziabad	443.37	456.66
7	Widening, Strengthening and Construction of R.C.C. Drain of Sub Division Road of "A Block" at I.A. South Side G.T. Road. Distt:	477.37	497.48

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	Ghaziabad.		
8	Providing And Fixing of Cantilever Gentry Sign Board Road Direction Board and Guide Map in Industrial Area South Side Gt Road Ghaziabad	19.89	22.33
Name of Work औद्योगिक क्षेत्र बुलंरशहर रोड़ गाजियाबाद।			
9	Bulandshahar road Industrial Area Main Road No. Construction work of 21 drain & RCC road ka Nirman Karya.	227.58	207.67
10	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. 11 Nala & RCC Road ka Nirman Karya.	123.93	111.53
11	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. Construction work of 23 drains and RCC road.	239.77	213.98
12	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. Construction work of 22 drains and RCC road ka Nirman Karya.	233.67	208.68
13	Bulardshahar Road Industrial Area Main Road No. Construction work of 2 Per Nala & RCC Road ka Nirman Karya.	360.21	320.80
14	Construction work of drain & RCC road from B 22/6 to B 22/3 till back side of Bulandshaher Road Industrial Area Main Mukherji Park ka Nirman Karya.	156.01	138.11
15	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. Construction work of 18 Per Nala & RCC Road ka Nirman Karya.	124.90	111.67
16	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. 12 Construction work of drain & RCC road ka Nirman Karya.	172.71	154.29
17	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No. 20 per drain & Construction work of RCC Road ka Nirman Karya.	91.84	75.31
18	Strengthening/Widening of Existing Road No. 2 (Part) 24, 32 & 33 And Construction of	382.69	358.43

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	Drain at Rond No. 9 & 34 AL IA Bulandshahar Road Distt: Ghaziabad		
19	Providing And Fixing of Cantilever Gantry Board, Road Direction Board and Guide Map Industrial Area Bulandshahar Road, Ghaziabad.	38.77	35.29
Total		4364.9	4070.38

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. उपरोक्त कार्यों पर शासनादेश दिनांक 13.03.2024 द्वारा अवमुक्त धनराशि रु. 4364.90 लाख को उक्त कार्यों को पुनरीक्षित लागत रु. 4070.38 लाख को सीमा तक ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यूपीसीडा द्वारा संशोधित/पुनरीक्षित लागत के अनुसार पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. उक्त कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड 6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
4. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी यूपीसीडा की होगी।
5. प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद पर ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।
8. उक्त कार्यों हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व यूपीसीडा का होगा।
9. उक्त कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना क्रियान्वयन से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10. उक्त कार्यो की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-14/2024/568/77-6-24-6099/138/2023 पार्ट-2, दिनांक 13.03.2024 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

11. उक्त कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के संपरीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रु. 4070.38 लाख (रु. चालीस करोड़ सत्तर लाख अड़तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6875608000300 पी०एम० गतिशक्ति योजना** के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 4 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2024/2046(1)/77-6-24-6099/138/2023 पार्ट-2, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
- 3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०।
- 4) वित्त नियंत्रक, यूपीसीडा, कानपुर।
- 5) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 10) नियोजन अनुभाग-1/4
- 11) औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।